

न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

निष्पादन वाद संख्या 723/2022 (पुराना नंबर 75/2017)

मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लि. बनाम आसीफ नसीम सिद्दकी और अन्य

दिनांक: 18-08-2025

वाद पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित हैं।

डिक्रीदार द्वारा प्रति आपत्ति हेतु अन्य तिथि प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र कागज संख्या 50 ग इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि डिक्रीदार के अधिवक्ता बुखार से पीड़ित होने तथा अति वर्षा के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रति आपत्ति दाखिल करने में असमर्थ है।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07-07-2025 को डिक्रीदार के अधिवक्ता के बीमार होने के आधार पर डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया था कि यदि अगली तिथि पर डिक्रीदार द्वारा आपत्ति के विरुद्ध प्रतिआपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई कर विधिनुसार आदेश पारित किया जायेगा तथा उक्त आपत्ति पर प्रतिआपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आगे डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत कोई स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा, किन्तु आज पुनः डिक्रीदार द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मामला सन 2017 से लम्बित है तथा पत्रावली एक्शन प्लान में शामिल है। अतः वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 50 ग स्वीकार होने योग्य नहीं है।

आदेश

डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 50 ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 05-09-2025 को आपत्ति कागज संख्या 42 ग के निस्तारण हेतु पेश हो। इस आदेश की एक प्रति डिक्रीदार कंपनी की सहारनपुर शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

पीठासीन अधिकारी

वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,

मेरठ।